



Neutral Citation No. - 2026:AHC:324

12.12.2025 को सुरक्षित किया गया

5.1.2026 को वितरित किया गया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43724 वर्ष 2025

रविंद्र

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अशोक कुमार सिंह बैस, निर्भय सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री निर्भय सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

यह आवेदक की दूसरी जमानत याचिका है। आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक की जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया था क्योंकि सह-आरोपी अजय (आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6236/2024) की जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा उस समय खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, सह-आरोपी अजय की दूसरी जमानत आवेदन संख्या 40009/2025 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक को भी जमानत पर रिहा किया जाए। वह 18.10.2023 से जेल में है। एक अन्य सह-आरोपी आकाश को भी दिनांक 21.11.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40197/25 में जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, पक्षकारों के उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों में बल पाते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी) 677** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.07.2022 के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए, और विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

मुकदमा अपराध संख्या 295/2023, धारा 302, 34 आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन ढोलना, जिला कासगंज में आरोपी आवेदक रवींद्र को जमानत पर रिहा किया जाए। यदि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करता है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

(ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या न्यायालय के निर्देशानुसार। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और

आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। (i) मामले की सुनवाई शुरू होने की तिथि, (ii) आरोप तय होने की तिथि और (iii) धारा 313 सीआर.सी. के तहत बयान दर्ज होने की तिथि पर। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

5 जनवरी 2026

अतुल कुमार श्री.

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।